10. तब यह आग्रह किया गया कि अधिनियम की धारा 9 के तहत मुख्य याचिका का निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट ने रुपये की लागत का फैसला सुनाया था। पति के खिलाफ पत्नी को 250 रुपये और इस तरह पति को कुल खर्चा 250 रुपये देना होगा. पत्नी को 2,250 रु. चूंकि निचली अदालत ने पाया है कि पत्नी रुपये के कुल खर्च की हकदार है। 2,000 यह स्पष्ट किया गया है कि मुकदमेबाजी का खर्च रु. नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा दिए गए 2,000 रुपये की लागत शामिल होगी। मुख्य याचिका में पति के खिलाफ अधिनियम की धारा 9 के तहत 250 का जुर्माना लगाया गया।

11. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, यह संशोधन विफल हो जाता है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया जाता है।

एस. सी. के.

एम. एम. पुंछी, जे., के सामने

नौशेरा और अन्य, अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, प्रतिवादी।

1979 की आपराधिक अपील संख्या 737

10 मार्च 1981.

भारतीय दंड संहिता (1860 का एक्सएलवी) धारा 399 और 402 - धारा 399 और 402 के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया - धारा 399 के तहत दोषमुक्ति - धारा 402 के तहत आरोप - क्या स्वचालित रूप से विफल हो जाएगा।

यह माना गया कि यद्यपि भारतीय दंड संहिता, 1860 की दोनों धाराओं 399 और 402 के तहत आने वाले अपराध में संभवतः समान तत्व शामिल होंगे, दोनों के

बीच एकमात्र अंतर यह होगा कि जबकि संहिता की धारा 402 के तहत बिना तैयारी के केवल इकट्ठा होना पर्याप्त है, संहिता की धारा 399 तभी लागू होगी जब तैयारी के तौर पर कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां बिना किसी तैयारी के लूट-खसोट के उद्देश्य से सभा हो सकती है। इस प्रकार, दोनों धाराओं के बीच एक अंतर है जिसे आसानी से समझा जा सकता है और केवल यह तथ्य कि अभियुक्तों को संहिता की धारा 399 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था, उनके खिलाफ संहिता की धारा 402 के तहत आरोप को खत्म करने का कोई आधार नहीं होगा।

(पैरा 4)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
(1981)2

श्री के.डी. मोहन, सत्र न्यायाधीश, भिवानी की अदालत के दिनांक 14 मई, 1979/28 मई, 1979 के अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता की ओर से एच. सी. सेठी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से निर्मल यादव, ए.ए.जी., हरियाणा।

फैसला

एम. एम. पुंछी, जे. (मौखिक)

(1) यह छह व्यक्तियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 402 के तहत उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील है, जिसे सत्र न्यायाधीश, भिवानी ने दर्ज किया था, जिन्होंने उनमें से प्रत्येक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उनमें से दो, नानक और नौशहरा, जिला भिवानी से संबंधित हैं जबकि शेष चार निकटवर्ती राज्य राजस्थान से हैं।

(2) मोटे तौर पर अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 21 मार्च 1978 को थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन सिटी भिवानी, उप-निरीक्षक राजबीर सिंह (पीडब्लू 9) को गुप्त सूचना मिली कि नानक के पांच या छह डकैत नानक के नेतृत्व वाला गिरोह आग्नेयास्त्रों वगैरह के साथ भिवानी-रोहतक रोड के पास, गांव नौरंगाबाद के क्षेत्र में

धर्मशाला हरनाम दास के पास एक सुनसान ईंट-भट्ठे पर बैठा था। गुप्त सूचना से यह भी पता चला कि उन डकैतों का मन रेवारी खेड़ा गांव के चतुर्भुज ब्राह्मण के घर में डकैती डालने का था. सब-इंस्पेक्टर राजबीर सिंह (पीडब्लू 9) अपने साथ पर्याप्त पुलिस ले जा रहे हैं। लगभग 9-15/9.30 बजे बल बताई गई दिशा की ओर आगे बढ़ा। भिवानी शहर के बाहरी इलाके के पास, उन्होंने सोहन सिंह (पीडब्लू 2) को देखा। सुखपाल सिंह (पीडब्लू 3) और एक दलीप सिंह। वह उन्हें साथ लेकर गांव नौरंगाबाद क्षेत्र में बताई गई जगह पर गए। अपराधियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए पार्टी तीन समूहों में बंट गयी. घेरा बनाकर सब-इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में डाकुओं को संबोधित किया कि वे पुलिस घेरे में हैं और वे अपने हथियार जमीन पर गिरा दें और हाथ ऊपर करके खुद को पुलिस के हवाले कर दें। उन्हें अपना निर्देश कई बार दोहराना पड़ा जब एक डाकू ने उत्तर दिया कि निर्देश का अनुपालन किया गया था। घेरा संकीर्ण कर दिया गया था और चंद्रमा की रोशनी में दिखाई देने वाले छह अपीलकर्ता अपराधियों के करीब पहुंच रहे थे

उनके हाथ ऊपर उठे हुए थे और उनके हथियार जमीन पर पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर के कहने पर एक-एक करके प्रत्येक अपीलकर्ता ने अपना हथियार उठाया और औपचारिक रूप से उसे सौंप दिया। यह उल्लेख करने के अलावा कि वे अवैध मूल के थे, हथियारों का विवरण देना आवश्यक नहीं है। अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जांच पूरी की गई, मामले को सुनवाई के लिए भेजा गया और अंततः अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई गई।

(3) अपील पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने मेरे सामने तीन तर्क रखे हैं (i) कि भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के तहत आरोप के अपीलकर्ताओं को बरी करने को धारा के तहत आरोप के लिए घातक माना जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 402. इस तर्क में इस तथ्य से भी सहायता मांगी गई थी कि अपीलकर्ताओं को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोपों से भी बरी कर दिया गया था;

(ii) भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए तथ्यों को सही माना गया हो, वे तथ्य चतुरी यादव और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा दिए गए निर्णय के समानांतर थे। बनाम बिहार राज्य (1) और (iii) कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य भौतिक विवरणों में असंगत थे और भरोसे के योग्य नहीं थे,

(4) धारा 399 और 402, भारतीय दंड संहिता, को साथ-साथ नोट किया जा सकता है।-

399 आई.पी.सी.	402 आई.पी.सी.
जो कोई भी डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।	जो कोई भी, इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी समय, पाँच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा। डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे होने पर सात वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यद्यपि दोनों धाराओं में आने वाले अपराध में संभवतः समान तत्व शामिल होंगे, दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह होगा कि जहां धारा 402, भारतीय दंड संहिता के तहत, बिना तैयारी के केवल इकट्ठा होना पर्याप्त है, वहीं धारा 399, भारतीय दंड संहिता, केवल आकर्षित होगी। जब तैयारी के तौर पर कोई अतिरिक्त कदम उठाया जाता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां बिना किसी दिखावे के डकैती के उद्देश्य से तैयारी हो सकती है

(1) 1980 सी ए आर 237 (एससी)।

इस प्रकार, दोनों वर्गों के बीच अंतर है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के तहत आरोप से बरी

कर दिया गया था, उनके खिलाफ धारा 402, भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप को खत्म करने का कोई आधार नहीं होगा।

(5) छापेमारी दल के सदस्यों में से, सोहन सिंह (पीडब्लू 2) ने कहा कि डाकू एक चालू ईंट-भट्ठे में छिपे हुए थे, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि ईंटें तैयार की जा रही थीं या नहीं । सुखपाल सिंह (पीडब्लू 3), जिसे शत्रुता पूर्ण घोषित किया गया था, ने कहा कि अपीलकर्ता पियाउ से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर दीवार के पास बैठे थे। सहायक उप-निरीक्षक करतार सिंह (पीडब्लू 8) ने कहा कि अपील कर्ताओं को एक सुनसान ईंट-भट्ठे में उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था । ऐसा ही बयान सब-इंस्पेक्टर राजबीर सिंह (पीडब्लू 9) का भी था । सभी पीडब्लू इस बात पर एकमत थे कि ईंट-भट्ठा ग्राम नौरंगाबाद के क्षेत्र में स्थित था। इन अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी का समय रात करीब 10 बजे बताया गया। 21 मार्च, 1973 को विद्वान वकील द्वारा उद्धृत फैसले में, अपराधी एक स्कूल परिसर में पाए गए थे और उनके कुछ साथी भाग गए थे। समय रात के 1.00 बजे थे। उस मामले के अभियुक्तों को बरी करते समय सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने इस प्रकार टिप्पणी की:

> "केवल यह तथ्य कि ये व्यक्ति रात 1 बजे पाए गए थे, अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि अपीलकर्ता डकैती करने के उद्देश्य से या उस उद्देश्य को पूरा करने की तैयारी के लिए एकत्र हुए थे। उच्च न्यायालय ने स्वयं अपने फैसले में कहा है कि स्कूल बाजार के काफी करीब था इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि अपीलकर्ता डकैती करने के इरादे से ऐसे विशिष्ट स्थान पर इकट्ठा होंगे और इतना गंभीर जोखिम उठाएंगे। यह सच है कि कुछ अपीलकर्ता जिन लोगों को हेड कांस्टेबल ने पकड़ा था, उन पर आरोप है कि उन्होंने उसके सामने यह बयान दिया था कि वे डकैती करने जा रहे थे, लेकिन यह बयान स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने के कारण विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, वहाँ अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 399 और 402 के तहत आरोप का समर्थन करने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है। संभावना है कि अपीलकर्ताओं ने कुछ की हत्या के उद्देश्य से एकत्र किया होगा- शरीर या कोई अन्य अपराध करना सुरक्षित नहीं हो सकता

इसलिए, इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखने में असमर्थ हैं।"

(6) यह देखा जाएगा कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं का ठिकाना नौरंगाबाद गांव की आबादी से काफी दूर एक ईंट-भट्ठा था, चाहे वह सुनसान हो या अन्यथा । इन परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं के छिपने के स्थान को एक विशिष्ट स्थान नहीं कहा जा सकता है जहां डकैती करने के उद्देश्य से एकत्र होने से अपीलकर्ताओं को गंभीर खतरा हो सकता है। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने जो निष्कर्ष निकाला है वह यह था कि यदि व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान पर इकट्ठा होंगे, तो उनकी उपस्थिति पैदा होगी। संदेह. तथ्य यह है कि तत्कालीन अपीलकर्ताओं को एक शहर के पास एक स्कूल भवन में पाया गया था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि उन्होंने शायद किसी की हत्या करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए एकत्र किया था, लेकिन डकैती के लिए नहीं। मौजूदा मामले के तथ्य उन तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। उस निर्णय से अपीलकर्ताओं को कोई लाभ नहीं हो सकता; बल्कि भेद से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन क्या कहना चाहता है और इसे साबित करना चाहता है।

(7) सोहन सिंह (पीडब्लू 2) गांव की पंचायत का सदस्य है और हालांकि उसने इस बात से इनकार किया कि वह कभी भी पुलिस के लिए अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुआ था, लेकिन प्रदर्शनी डीबी और डीसी के उत्पादन में उसके बयानों की प्रतियों का खंडन किया गया । आपराधिक अदालतों ने खुलासा किया कि उस दिशा में उनका दावा गलत था । ट्रायल जज ने उन्हें इस आधार पर क्लीन चिट दे दी कि केवल इसी आधार पर उन पर संदेह नहीं किया जा सकता। यह तर्क शायद अपने आप में उचित नहीं है जब तक कि इसे इस कारक से सहायता न मिले कि पंचायत का सदस्य होने के नाते उसे आम तौर पर कई क्षेत्रों में सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उपलब्ध होना होगा। यह गवाह के साक्ष्य का आंतरिक मूल्य है जिसे देखा जाना चाहिए। उसके साक्ष्यों को समग्र रूप से पढ़ने पर यह पता नहीं चलता कि उसने पुलिस को सेवा क्यों दी और वह भी उन अपीलकर्ताओं के खिलाफ, जिनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। सुखपाल सिंह (पीडब्लू 3) को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और उसके साक्ष्य का अभियोजन के लिए

कोई मूल्य नहीं हो सकता है। हालाँकि, ए.एस.आई. के साक्ष्य करतार सिंह (पीडब्लू 8) और सब-इंस्पेक्टर राजबीर सिंह (पीडब्लू 9) जनता के किसी भी गवाह के साक्ष्य के बिना अकेले ही अपराध में अपीलकर्ताओं की मिलीभगत स्थापित करेंगे। यह कहना मुश्किल है कि अपीलकर्ताओं पर लगाए जाने के लिए पुलिस के हाथ में इतनी बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद कैसे आया। यह सार हीन है कि अपीलकर्ताओं को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोपो से बरी कर दिया जाए क्योंकि विशेष रूप से प्रत्येक के कब्जे में संबंधित

हथियार नहीं सौंपा गया था. अभियोजन पक्ष चाहता था कि अदालत यह माने कि गिरफ्तारी के समय उनमें से प्रत्येक को अपना-अपना हथियार उठाने और फिर उसे उप-निरीक्षक राजबीर सिंह (पीडब्लू 9) को सौंपने के लिए कहा गया था। प्रथम दृष्टया वह प्रक्रिया बहुत जोखिम भरी होती। हालाँकि, उक्त आरोपों के लिए अपीलकर्ताओं को बरी करने से उनकी गिरफ्तारी के समय हथियारों की बड़ी मात्रा में बरामदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी यह अनुमान का विषय है, खासकर तब जब अपीलकर्ताओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि वे उपरोक्त हथियार लेकर कैसे आए। इस प्रकार उन सभी परिस्थितियों के लिए वैध रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता डकैती करने के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए थे। ट्रायल जज द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही था और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

(8) उपरोक्त कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

एस.सी.के.

एस.एस. संधावाला सी.जे. और आई.एस. तिवाना, जे., के सामने

हकीकत सिंह, याचिकाकर्ता।

बनाम

अपर निदेशक एवं अन्य-प्रतिवादी।

1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 3384

16 मार्च 1981.

पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन) अधिनियम (1948 का 50) धारा 42-पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (विखंडन और विखंडन की रोकथाम) नियम 1949-नियम 18-धारा 42 के तहत याचिका-किसी भी प्राधिकरण के किसी विशिष्ट आदेश को चुनौती नहीं दी गई-चुनौती केवल के खिलाफ निर्देशित योजना के तहत तैयारी, पुष्टि या पुनर्विभाजन - नियम 18 द्वारा बनाई गई सीमा की रोक - चाहे ऐसी याचिका पर लागू हो।

माना गया कि पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन) अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि योजना की तैयारी और पुष्टि, योजना के अनुसार होल्डिंग्स का पुनर्विभाजन या दूसरे शब्दों में कार्यान्वयन योजना और आपत्तियों की सुनवाई पर आदेश पारित करना और बिना किसी खिंचाव के फिर उन आदेशों के खिलाफ अपील अधिनियम द्वारा परिकल्पित तीन अलग-अलग अर्थ और अवधारणाएं हैं।

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा मैं अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मैं इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

रणबीर सिंह अनुवादक